भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1260

सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक)

ईएसआई अस्पतालों में दवाओं की अनुपलब्धता

1260. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तेलुगू राज्यों के ईएसआई अस्पताल दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं और यहां तक कि बीपी और मधुमेह की गोलियों जैसी नियमित दवाएं भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राज्य द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अस्पतालों में कुछ दवाइयों की कमी होने के मामलों की जानकारी मिली है। तथापि, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अस्पतालों में रक्तचाप और मधुमेह की दवाइयों सहित अन्य दवाइयां आसानी से उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ): ईएसआईसी मुख्यालय ने इन राज्यों को मामले की जांच करने और समुचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। इसके अलावा, जैसाकि इन राज्य सरकारों ने सूचित किया है, दर संविदा फर्मों से दवाइयों की खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और यदि दवाइयां फर्मों में उपलब्ध नहीं है/आपूरित नहीं की जा रही हैं तो ईएसआईएस अस्पतालों/औषधालयों के चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारियों को नियमानुसार स्थानीय रूप से दवाइयों की खरीद करने के अधिकार दिए गए हैं।

*****